त्रिभुवन दहिया जे. के समक्ष

संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड-याचिकाकर्ता

बनाम

जगबीर सिंह और प्रतिवादी

2017 का एफ. ए. ओ. सं. 77

09 सितंबर, 2022

क. मोटर वाहन अधिनियम, 1988-एस. एस. 166 और 173-अपराध करने वाले वाहन द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाना-दुर्घटना में मृत्यु-चालक और मालिक और बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करना-चुनौती दी गई-दुर्घटना में अपराध करने वाले वाहन/ट्रैक्टर की वाहन संख्या के रूप में झूठी संलिप्तता की याचिका का प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है-आयोजित, दुर्घटना के समय दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल उल्लंघन करने वाले वाहन की पंजीकरण संख्या का उल्लेख न करना दावा याचिका दायर करने के उद्देश्य से वाहन की झूठी संलिप्तता का आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है-रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत नहीं आया है जो किसी भी तरह से, यहां तक कि प्रथमदृष्टया यह दिखा सकता है कि दावेदारों और वाहन के चालक और मालिक के बीच कोई मिलीभगत है।

अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट (पर्दर्शित पी-2) दर्ज करने के अनुसरण में खंड 173 सी.आर.पी.सी. (पर्दर्शित पी-5) के तहत एक रिपोर्ट उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के खिलाफ दायर की गई थी, जो आपराधिक अभियोजन का सामना कर रहा था। इस संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है, जहां चालक के खिलाफ खंड 173 द.प.स. के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है, यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित है कि प्रथमदृष्टया दुर्घटना उसकी लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी।इस संबंध में गिरधारी लाल बनाम राधे शाम और अन्य, 1993 (2) पी. एल. आर. 109 में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। इसके अलावा, दुर्घटना के समय दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल उल्लंघन करने वाले वाहन के पंजीकरण संख्या का उल्लेख न करना, यह आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है कि यह दावा याचिका दायर करने के उद्देश्य से वाहन की झूठी संलिप्तता का मामला है।रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत नहीं आया है जो किसी भी तरह से, यहां तक कि प्रथमदृष्टया यह संकेत दे सकता है कि दावेदार और वाहन के चालक और मालिक के बीच कोई मिलीभगत हुई है। दुर्घटना के तुरंत बाद दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में विवादित वाहन के पंजीकरण संख्या का उल्लेख नहीं करने के कई वैध कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि सूचना देने वाला उल्लंघन करने वाले वाहन की पंजीकरण संख्या को बिल्कुल वैसे ही याद न करने में समर्थ हो ,क्योंकि दुर्घटना के समय मौजूद व्यक्तियों का ध्यान घायलों को बचाने के लिए होता है, और जो ठीक भी ही है । जाँच के दौरान पुलिस अगर इस नतीजे पर पहुँचती है विशेष वाहन दुर्घटना में शामिल था और खंड 173 द.प.स. के तहत एक रिपोर्ट दायर करता है. उस आधार पर, यह मिलीभगत की किसी भी धारणा को दूर करता है।

(पैरा 9)

बी. मोटर वाहन अधिनियम, 1988, धारा 166 और 173-बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने की याचिका-केवल इसलिए आयोजित की गई क्योंकि मृतक के पास लाइसेंस नहीं था, लापरवाही का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं था या यह कि यह अंशदायी लापरवाही का मामला था-रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है जो प्रथमदृष्टया मृतक कमल की ओर से किसी भी लापरवाही की ओर इशारा कर सकता है, इसलिए उसकी ओर से कोई अंशदायी लापरवाही नहीं है।

अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि मृतक हितेश @मोनू, जो विचाराधीन मोटरसाइकिल चला रहा था, दुर्घटना के समय 17 वर्ष का था, जैसा कि पीडब्लू-1 जगबीर/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा गया है।इसलिए, उन्हें मोटरसाइकिल चलाने के लिए वैध वाहन चालक लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता था। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने का यह कार्य स्वयं उसकी लापरवाही को स्थापित करता है। तर्क में भी योग्यता का अभाव है। केवल इसलिए कि मृतक के पास कोई लाइसेंस नहीं था, अपने आप में यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह दुर्घटना करने में लापरवाही कर रहा था या यह कि यह अंशदायी लापरवाही का मामला था, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है। न्यायाधिकरण द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था कि मृतक स्वयं गाड़ी चलाने में लापरवाही कर रहा था और उसी कारण दुर्घटना हुई थी। इसके अलावा, यह कोई नया मामला नहीं है कि यदि कोई चालक बिना लाइसेंस के वाहन चला रहा था, तो दुर्घटना के संबंध में लापरवाही का पता नहीं चलेगा। यह सुधीर कुमार राणा बनाम सुरिंदर सिंह (2008) 12 एस. सी. सी. 436 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

> 9. यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के वाहन चलाता है, तो वह अपराध करता है। वही, हमारी राय में, दुर्घटना के संबंध में लापरवाही का पता लगाने का कारण नहीं बन सकता है। निचली अदालतों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह मिनी ट्रक का चालक था जो लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। यह कहना एक बात है कि अपीलकर्ता के पास कोई लाइसेंस नहीं था लेकिन इस तथ्य का कोई पता नहीं चला है कि वह जल्दबाजी और लापरवाही से दोपहिया वाहन चला रहा था। यदि वह जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी नहीं चला रहा था तो हम यह देखने में विफल रहते हैं कि कैसे केवल इसलिए कि उसके पास लाइसेंस नहीं था उसे अंशदायी लापरवाही का दोषी ठहराया जाएगा।"

कानून के उपरोक्त प्रस्ताव में इस तथ्य के साथ कि अभिलेख पर ऐसा कोई गवाह नहीं है जो पहले देखने वाले मृतक कमल की ओर से किसी भी लापरवाही की ओर इशारा कर सके यह नहीं माना जा सकता है कि उसकी ओर से कोई अंशदायी लापरवाही की गई है।

(पैरा 10)

ग. मोटर वाहन अधिनियम, 1988-एस. एस. 166 और 173-निर्धारण-मृतक की आय-उत्तरदाताओं/दावेदार के अपने मामले के अनुसार, मृतक पेशे से मजदूर था-इसलिए, अभिलेख पर साक्ष्य का अभाव में, मृतक की आय का उचित मूल्यांकन किया गया।

अभिनिर्धारित किया कि इसके बाद अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मुआवजे की राशि का न्यायाधिकरण द्वारा गलत आकलन किया गया है जितना कि मृतक की आय को एक कुशल दैनिक मजदूरी के रूप में लिया गया है। जबकि, उत्तरदाताओं/दावेदार के अपने मामले के अनुसार, मृतक पेशे से एक मजदूर था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दुर्घटना के समय एक अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी का संकेत देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक अधिसूचना का उल्लेख किया है। हालाँकि यह विवादित नहीं है कि न्यायाधिकरण के समक्ष अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था। इसलिए अभिलेख पर गवाह के अभाव में यह न्यायालय इस स्तर पर निर्धारित आय में हस्तक्षेप करने के लिए राजी नहीं है।

(पैरा 11)

घ. मोटर वाहन अधिनियम, 1988-धारा 166 और 173-दावेदारों द्वारा प्रति-आपत्ति-अकेला कमाने वाले के नुकसान के लिए कटौती मुआवजा-कानून के अनुसार उसकी आय की आधी होनी चाहिए।

आयोजित, 2017 के एफ. ए. ओ. संख्या 77 में प्रति आपति /उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि दावेदारों को उनके अकेला कमाने वाले के नुकसान के कारण दिया गया मुआवजा कम है क्योंकि संघ और भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके विपरीत, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतिम बार यह तर्क दिया गया है कि मुआवजे का आकलन करने के लिए मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती भी गलत है, क्योंकि मृतक अविवाहित था। कानून के अनुसार, कटौती उसकी आय की आधी होनी चाहिए।

(पैरा 12)

ड. मोटर वाहन अधिनियम, 1988, एस.एस. 166 और 173-व्यक्तिगत खर्चों के लिए मृतक की आय से एक तिहाई की कटौती-चुनौती-चूंकि आश्रितों/दावेदारों/उत्तरदाताओं की संख्या तीन है, जो मृतक के माता-पिता और नाबालिग भाई हैं-इसलिए, मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम में उच्चतम न्यायालय के मामले का दृष्टिकोण। नानू राम @चुहरू राम और अन्य, (2018) 18 एस. सी. सी. 130, मृतक कुंवारे के पिता और एक अविवाहित बहन पर आश्रितों की संख्या उनकी आय का एक तिहाई हिस्सा उनके व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए काटा जाना आवश्यक था।

अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह अंतिम तर्क भी अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि इस मामले में आश्रितों/दावेदारों/उत्तरदाताओं की संख्या तीन है, जो मृतक के माता-पिता और नाबालिग भाई (उत्तरदाता संख्या 1 से 3) हैं। नतीजतन, मृतक की आय के केवल एक तिहाई हिस्से की कटौती उसके व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए प्रभावित होती है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम. में अभिनिर्धारित किया गया था। नानू राम @चुहरू राम और

अन्य, (2018) 18 एस. सी. सी. 130, मृतक कुंवारे के पिता और एक अविवाहित बहन पर निर्भर लोगों की संख्या, उसकी आय का एक तिहाई हिस्सा उसके व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए काटा जाना आवश्यक था। इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा व्यक्तिगत खर्चों के लिए मृतक की आय में से एक तिहाई की कटौती में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।

संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम जगबीर सिंह में 1409

और अन्य (त्रिभुवन दहिया, जे.)

(पैरा 13)

च. मोटर वाहन अधिनियम, 1988-एस.एस. 166 और 173-राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य मामले, 2017 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 1009 में उच्चतम न्यायालय के मामले को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक शीर्षों के लिए पुरस्कार में वृद्धि, पारंपरिक शीर्षों के तहत हर तीन साल में 10 प्रतिशत की दर से राशि में वृद्धि की जानी चाहिए और 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ राशि क्रमशः रु.16,500/-, रु.44,000/- और रु.16,500/- हो जाती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 1009 में कहा है कि पारंपरिक शीर्षों के तहत उचित आंकड़े अर्थात् संपत्ति का नुकसान संघ का नुकसान और अंतिम संस्कार का खर्च क्रमशः. रु.15,000/-, रु.40,000/- और रु.15,000/- होना चाहिए। उपर्युक्त राशियों को हर तीन साल में 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाना चाहिए। तदनुसार, प्रत्यर्थी/दावेदार पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजे के संबंध में 10 प्रतिशत वृद्धि के हकदार होंगे; 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ पारंपरिक शीर्षों के तहत राशि क्रमशः रु.16,500/-, रु.44,000/- और रु.16,500/- हो जाती है।

(पैरा 14)

छ. मोटर वाहन अधिनियम, 1988-एस.एस.166 और 173-भविष्य की संभावनाओं के लिए पुरस्कार में वृद्धि-आयोजित, दुर्घटना के समय 19 वर्ष की आयु में मृत और स्व-नियोजित/कुशल मजदूर थे-दावेदार भविष्य की संभावनाओं के कारण स्थापित आय का 40 प्रतिशत जोड़ने का हकदार है और मुआवजे की राशि की गणना करते समय 18 का गुणक लागू होता है-इसलिए 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ कुल मुआवजा बढ़ाकर रु. 2,04,382/-है।

अभिनिर्धारित किया गया कि इसके अलावा, प्रत्यर्थी/दावेदार प्रणय सेठी मामले (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित भविष्य की संभावनाओं के कारण मुआवजे में वृद्धि के भी हकदार हैं। न्यायाधिकरण द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दुर्घटना के समय मृतक की आयु 19 वर्ष थी और वह स्व-नियोजित/कुशल मजदूर था। निर्धारित कानून के संदर्भ में वह भविष्य की संभावनाओं के कारण स्थापित आय का 40 प्रतिशत जोड़ने का हकदार है और मुआवजे की राशि की गणना करते समय 18 का गुणक लागू किया जाना चाहिए।

(पैरा 15)

हर्ष अग्रवाल, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से।

पवन कुमार हुड्डा, अधिवक्ता, 2017 के एफएओ संख्या.77 उत्तरदाताओं के लिए संख्या 4 और 5 के लिए और 2017 के एफएओ संख्या.85 उत्तरदाताओं के लिए संख्या 2 और 3 के लिए।

राजेश गोयल, अधिवक्ता, प्रति-आक्षेपकर्ताओं/उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 के लिए।

त्रिभुवन दहिया जे।

2019 का सीएम संख्या.19698-सी.ई.ई. और 2019 का प्रति आपत्ति संख्या.187

आवेदन में सूचना के साथ-साथ प्रति-आपत्ति गैर-आवेदक/अपीलार्थी को जारी की जाती है।

श्री हर्ष अग्रवाल, अधिवक्ता उपस्थित होते हैं और गैर-आवेदक/अपीलार्थी की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

आवेदन में बताए गए कारणों के लिए, प्रति-आपत्ति को फिर से दाखिल करने में 702 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है और प्रति-आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

आवेदन का निपटारा कर दिया गया है।

2017 का एफ. ए. ओ. संख्या.77 (ओ एंड एम) 2017 का एफ. ए. ओ. संख्या.85 (ओ एंड एम)

(1) बीमा कंपनी द्वारा 2017 की एफ. ए. ओ. संख्या.77 और 2017 की एफ. ए. ओ. संख्या.85 वाली दो अपीलों के साथ-साथ 2017 की एफ. ए. ओ. संख्या.77 में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा दायर प्रति-आपत्तियों पर एक साथ निर्णय लिया जा रहा है क्योंकि वे एक दुर्घटना से उत्पन्न होती हैं।

(2) अपीलार्थी-बीमा कंपनी ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पानीपत (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 08.08.2016 के निर्णय के खिलाफ अपील दायर की है।

(3) न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय में दर्ज तथ्यों के अनुसार, मृतक हितेश @मोनू द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल और प्रतिवादी संख्या.4-वाहन चालक द्वारा चलाए जा रहे ट्रैक्टर के बीच दुर्घटना हुई जिसका अपीलकर्ता द्वारा बीमा किया गया था। दुर्घटना के परिणामस्वरूप हितेश @मोनू की मृत्यु हो गई और एक दावा याचिका उसके माता-पिता और नाबालिग भाई (उत्तरदाता संख्या 1 से 3) द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई थी। दूसरी दावा याचिका कमल द्वारा दायर की गई थी जो मृतक के साथ मोटरसाइकिल चला रहा था और दुर्घटना में घायल हो गया था। दावा याचिकाओं का निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनाँक 8.8.2016

निर्णय द्वारा किया गया था, जिसमें दावा याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी और दावेदारों को मुआवजा दिया गया था। न्यायाधिकरण द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थेः

"1. क्या दावेदार कमल को चोटें आईं (एम. ए. सी. टी. संख्या.111/14 में) और मृतक हितेश की मृत्यु (एम. ए. सी. टी. संख्या.112/14 में) सड़क किनारे वाहन दुर्घटना में हुई थी? जो 22.05.2014 पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चलने वाले वाहन संख्या HR-43-0798 को लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी. ओपीपी.

2. क्या दावेदार उपरोक्त दुर्घटना में दावेदार कमल (एम. ए. सी. टी. .111/14 में) को लगी चोटों और मृतक हितेश (एम. ए. सी. टी. संख्या.112/14 में) की मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति के हकदार हैं? यदि हां तो किस हद तक और किसके द्वारा? ओपीपी.

3. क्या प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है, यदि ऐसा है तो इसका समेविधि में वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? ओ. पी. पी.

4. राहत मिलती है।"

(4) दावेदारों के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर मुद्दा संख्या 1 का निर्णय लेते हुए, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि यह रिकॉर्ड पर सफलतापूर्वक साबित हो गया था कि दुर्घटन, जो 22.05.2014 पर हुई थी केवल ट्रैक्टर चलाते समय प्रतिवादी संख्या.4-वाहन चालक की लापरवाही के कारण हुई थी, जिसका पंजीकरण संख्या.HR-43-0798 था। तदनुसार, इस मुद्दे का जवाब दावेदारों/उत्तरदाताओं के पक्ष में दिया गया था।

(5) मुद्दा संख्या.2 और 3 आपस में जुड़े होने के कारण न्यायाधिकरण द्वारा एक साथ निर्णय लिया गया था। यह माना गया कि घायल कमल जो गवाह बक्से में पीडब्लू-2 के रूप में उपस्थित हुए और वह दुर्घटना के कारण डब्ल्यू. ई. एफ. 22.05.2014 से 04.06.2014 अस्पताल में भर्ती रहा मुआवजे का हकदार होगा। उनके बाएं पैर में एक छड़ डाली गई थी और उनका अभी भी इलाज चल रहा था। उन्होंने अपने निर्वेहन सारंस (पर्दर्शित पी-1) बाह्य रोगी कार्ड, प्रदर्शन पी-2 और पी-1 को भी रिकॉर्ड में साबित किया। 3. साक्ष्य के आधार पर, उन्हें दुर्घटना में लगी चोटों, अस्पताल में भर्ती होने और दर्द और पीड़ा आदि के कारण एक समेकित राशि रु.50,000/- से सम्मानित किया गया था। जहाँ तक मृतक हितेश @मोनू के आश्रितों द्वारा दायर दूसरी दावा याचिका का संबंध है, प्रतिवादी संख्या 1, जो पी.डब्लू-1 के रूप में पेश हुए, ने दावा किया कि उनके बेटे की, जो 19 वर्ष का था, दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई। वे पेशे से मजदूर थे। हालाँकि मृतक के व्यवसाय और कमाई को साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत रिकॉर्ड पर नहीं दिया गया था, लेकिन न्यायाधिकरण ने मृतक की आय को मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत अधिसूचित एक कुशल श्रम के रूप में लेते हुए मुआवजे का आकलन किया जो उस समय प्रति माह रू.6290/- था।

(6) प्रतिवादी संख्या 1 से 3, जो मृतक के आश्रित थे। आय का एक तिहाई हिस्सा काटने के बाद, उत्तरदाताओं/दावेदारों की वार्षिक निर्भरता का आकलन Rs.4194 X 12 = 50,328/के रूप में किया गया था। 18 के गुणक को लागू करके, मुआवजे का आकलन रु. 9,05,904-किया गया था। इसके अलावा, अंतिम संस्कार के लिए रु.25,000/-, परिवहन के लिए रु.10,000/- और प्यार और स्नेह के लिए रु.50,000/- के मुआवजे का आकलन किया गया था। तदनुसार, हितेश @मोनू की मृत्यु के कारण कुल मुआवजे का आकलन रु.9,90,904-के रूप में किया गया था।

(7) जहां तक प्रतिवादी की देनदारियों का संबंध है, क्योंकि दुर्घटना की तारीख को ट्रैक्टर के चालक के पास वैध और प्रभावी वाहन चलने का लाइसेंस था, और उल्लंघन करने वाले वाहन का बीमा किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता को उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक और चालक के साथ 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

(8) दोनों अपीलों में, बीमा कंपनी न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ इस आधार पर आई है कि यह दुर्घटना में उल्लंघन करने वाले वाहन/ट्रैक्टर की झूठी संलिप्तता का मामला है क्योंकि वाहन संख्या का उल्लेख दिनांक 22.05.2014 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं किया गया था। यह उत्तरदाताओं-दावेदारों और वाहन के चालक और मालिक के बीच मिलीभगत की ओर इशारा करता है।

(9) अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्शनी पी-2) दर्ज करने के अनुसरण में खंड 173 द.प.स. (प्रदर्शनी पी-5) के तहत एक रिपोर्ट चालक के खिलाफ दायर की गई थी। अपराधी वाहन जो आपराधिक अभियोजन का सामना कर रहा था।इस संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है, जहां चालक के खिलाफ खंड 173 द.प.स. के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है, यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित है कि प्रथमदृष्टया दुर्घटना उसकी लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी। इस संबंध में गिरधारी लाल बनाम राधे शाम और अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। इसके अलावा, दुर्घटना के समय दर्ज की गई प्रथम सुचना रिपोर्ट में केवल उल्लंघन करने वाले वाहन के पंजीकरण संख्या का उल्लेख न करना, यह आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है कि यह दावा याचिका दायर करने के उद्देश्य से वाहन की झूठी भागीदारी का मामला है। रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत नहीं आया है, जो किसी भी तरह से, यहां तक कि प्रथमदृष्टया यह संकेत दे सकता है कि दावेदार और वाहन के चालक और मालिक के बीच कोई मिलीभगत हुई है। दुर्घटना के तुरंत बाद दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में विवादित वाहन के पंजीकरण संख्या का उल्लेख नहीं करने के कई वैध कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि सूचना देने वाला उल्लंघन करने वाले वाहन की सही पंजीकरण संख्या को याद करने में समर्थ न हो क्योंकि दुर्घटना के समय मौजूद व्यक्तियों का ध्यान घायलों को बचाने के लिए होता है और जो ठीक भी है। जाँच के दौरान यदि पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि दुर्घटना में कोई विशेष वाहन शामिल था और उस आधार पर खंड 173 द.प.स. के तहत एक रिपोर्ट दर्ज करती है तो यह मिलीभगत की धारणा नहीं कही जा सकती।

(10) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि मृतक हितेश @मोनू, जो विचाराधीन मोटरसाइकिल चला रहा था दुर्घटना के समय 17 वर्ष का था जैसा कि पी.डब्लू-1 जगबीर/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा गया है। इसलिए, उन्हें मोटरसाइकिल चलाने के लिए मान्या चालक लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता था। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने का यह कार्य स्वयं उसकी लापरवाही को स्थापित करता है। तर्क में भी योग्यता का अभाव है। केवल इसलिए कि मृतक के पास कोई लाइसेंस नहीं था, अपने आप में यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह दुर्घटना करने में लापरवाही कर रहा था, या यह कि यह अंशदायी लापरवाही का मामला था जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है। न्यायाधिकरण द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था कि मृतक स्वयं गाड़ी चलाने में लापरवाही कर रहा था और उसी कारण दुर्घटना हुई थी। इसके अलावा, यह अब समग्र नहीं है कि यदि कोई चालक बिना लाइसेंस के वाहन चला रहा था, तो दुर्घटना के संबंध में लापरवाही का पता नहीं चलेगा। यह सुधीर कुमार राणा बनाम सुरिंदर सिंह 2 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित निम्नानुसारः है।

1 1993(2) पीएलआर 109

"9. यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के वाहन चलाता है, तो वह अपराध करता है। वही हमारी राय में, दुर्घटना के संबंध में लापरवाही का पता लगाने का कारण नहीं बन सकता है। निचली अदालतों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह मिनी ट्रक का चालक था जो लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। यह कहना एक बात है कि अपीलकर्ता के पास कोई लाइसेंस नहीं था, लेकिन इस तथ्य का कोई पता नहीं चला है कि वह जल्दबाजी और लापरवाही से दोपहिया वाहन चला रहा था। यदि वह जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी नहीं चला रहा था जो दुर्घटना में शामिल है। हम यह देखने में विफल रहते हैं कि उसके पास लाइसेंस नहीं था उसे अंशदायी लापरवाही का दोषी ठहराया जाएगा।"

कानून के उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में इस तथ्य के साथ कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो प्रथमदृष्टया मृतक कमल की ओर से किसी भी लापरवाही की ओर इशारा कर सके यह नहीं माना जा सकता है कि उसकी ओर से कोई अंशदायी लापरवाही की गई है।

(11) इसके बाद अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मुआवजे की राशि का न्यायाधिकरण द्वारा गलत आकलन किया गया है, जितना कि मृतक की आय को एक कुशल दैनिक मजदूरी के रूप में लिया गया है। जबकि उत्तरदाताओं/दावेदारों के अपने मामले के अनुसार मृतक पेशे से एक मजदूर था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दुर्घटना के समय एक अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी का संकेत देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक अधिसूचना का उल्लेख किया है। हालाँकि यह विवादित नहीं है कि न्यायाधिकरण के समक्ष अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था। इसलिए, अभिलेख पर गवाह के ना मिलने पर यह न्यायालय इस स्तर पर निर्धारित आय में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।

(12) 2017 के एफ. ए. ओ. संख्या 77 में प्रति आपत्ति/उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि दावेदारों को उनके अकेले कमाने वाले के नुकसान के कारण दिया गया मुआवजा कम है, क्योंकि संगठन और भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके विपरीत, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतिम बार यह तर्क दिया गया है कि मुआवजे का आकलन करने के लिए मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई की कटौती भी गलत है क्योंकि मृतक अविवाहित था। कानून के अनुसार कटौती उसकी आय का आधा होना चाहिए।

2 (2008) 12 एस. सी. सी. 436

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जगबीर सिंह 1415

और अन्य (त्रिभुवन दहिया, जे.)

(13) अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह अंतिम तर्क भी अस्विकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस मामले में आश्रितों/दावेदारों/उत्तरदाताओं की संख्या तीन है जो मृतक के माता-पिता और नाबालिग भाई (उत्तरदाता संख्या 1 से 3) हैं। नतीजतन मृतक की आय के केवल एक तिहाई हिस्से की कटौती उसके व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए प्रभावित होती है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित मुकदमा **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम @चुहरू** राम और अन्य के मुताबिक कुंवारे मृतक के पिता और एक अविवाहित बहन पर निर्भर लोगों की संख्या उसकी आय का एक तिहाई हिस्सा उसके व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए काटा जाना आवश्यक था। इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा व्यक्तिगत खर्चों के लिए मृतक की आय में से एक तिहाई की कटौती में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।

(14) इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुकदमा राष्ट्रीय बीमा में कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य 4 में माना है कि पारंपरिक शीर्षों के तहत उचित आंकड़े अर्थात् संपत्ति का नुकसान सगंठन का नुकसान और अंतिम संस्कार का खर्च क्रमशः रु.15,000/-, रु.40,000/- और रु.15,000/- होना चाहिए। उपर्युक्त राशियों को हर तीन साल में 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाना चाहिए। तदनुसार प्रत्यर्थी/दावेदार पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजे के संबंध में 10 प्रतिशत वृद्धि के हकदार होंगे; 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ पारंपरिक शीर्षों के तहत राशि क्रमशः रु.16,500/-, रु.44,000/- और रु.16,500/- हो जाती है।

(15) इसके अलावा प्रत्यर्थी/दावेदार प्रणय सेठी मामले (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित भविष्य की संभावनाओं के कारण मुआवजे में वृद्धि के भी हकदार हैं। न्यायाधिकरण द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दुर्घटना के समय मृतक की आयु 19 वर्ष थी और वह स्व-नियोजित/कुशल मजदूर था। निर्धारित कानून के संदर्भ में वह भविष्य की संभावनाओं के कारण स्थापित आय का 40 प्रतिशत जोड़ने का हकदार है और मुआवजे की राशि की गणना करते समय 18 का गुणक लागू किया जाना चाहिए।

(16) उपरोक्त विश्लेषण पर 2017 के एफ. ए. ओ. संख्या.77 में प्रतिवादी संख्या 1 से 3/दावेदारों को मुआवजे की निम्नलिखित संशोधित राशि का हकदार माना गया हैः

3 (2018) 18 एससीसी 130

4 2017 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 1009

क्रमक संख्या नंबर	मुखिया।	राशि (रु.)
1	मासिक आय	5,547
2	वार्षिक आय	5,547 x 12 = 66,564
3	भविष्य की संभावनाएँ @40 प्रतिशत	26,626
4	भविष्य की संभावनाओं सहित कुल आय	93,190
5	व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती 1/3	31,063 (93,190-31,063 – 62,127)
6	गुणक '18'	(62,127 x 18) 11,18,286
7	3 वर्षों के बाद 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ संघ का नुकसान	44,000
8	3 वर्षों के बाद अंतिम संस्कार के खर्च में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नुकसान	16,500
9	3 वर्षों के बाद संपत्ति के नुकसान में 10 प्रतिशत की वृद्धि	16,500
10	कुल मुआवजा	11,95,286

(17) इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा दिनांकित 08.08.2016 द्वारा पारित निर्णय में संशोधन किया गया है और प्रतिवादी को 2017 के एफ. ए. ओ. संख्या.77 में 1 से 3/दावेदारों को रु. 2,04,382/- की बढ़ी हुई राशि का हकदार माना जाता है-जिसमें दावा याचिका दायर करने की तारीख से इसकी वास्तविक प्राप्ति तक 9 प्रतिशत की दर से ब्याज होता है, जिसे संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उसी अनुपात में भुगतान किया जाएगा जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है।

(18) परिणामस्वरूप अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा दायर अपीलों को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है और उपरोक्त शर्तों में परस्पर आपत्तियों की अनुमति दी जाती है।

ऋतंब्रा ऋषि

विनय पुरी

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।